an>

Title: Regarding imposition of interest on income on the acquired land from the farmers.

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर) : अध्यक्ष महोदया, सब जगह लातूर के सूखे और पानी की बात हो रही है। मैं उस लातूर से सांसद हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ट्रेन से वहां पानी दिया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विÂषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्Âिात करना चाहता हूं। किसानों की जमीन सरकार द्वारा अधिगृहित करते समय ही किसानों को उसका उचित मूल्य दिए जाने का प्रावधान है। अगर किसान को उसका उचित मूल्य सरकार द्वारा न देने पर व न्याय प्रक्रिया द्वारा सरकार से उस मुवाअजे की मांग करता है। उक्त निर्णय न्यायालय द्वारा यदि 15 साल, 20 साल या 25 साल के बाद लिया जाता है और उस न्यायालय द्वारा उस किसान को उक्त रकम पर ब्याज देने का निर्देश सरकार को दिया जाता है। उस रकम पर दिए गए ब्याज पर नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे शतप्रतिशत आयकर से मुक्त होना चाहिए। इस विÂषय में सरकार को कदम उठाना जरूरी है।

महोदया, पूर्व की सरकार ने इस विÂषय में किसानों की जमीन को जबरदस्ती अधिगृहित करने के बावजूद धारा 10/37 के अनुसार पचास प्रतिशत ब्याज की रकम पर आयकर लगाने का प्रावधान है। वÂान 2009 में 10 अप्रैल 2010 को आयकर अधिनियम के सब-सेक्शन 2, सेक्शन 56 द्वारा किया, लेकिन यह नुकसान भरपायी रहने के कारण आयकर अधिनियम 10/37 को सुधार करके पूर्ण ब्याज को आयकर मुक्त करने का निर्णय लेने की जरूरत है और यह देश किसान भी महसूस कर रहा है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस विÂषय में सरकार जल्दी निर्णय करे ताकि किसानों को नुकसान भरपायी की पूरी रकम बिना आयकर कटौती किए मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पष्पÂेन्द्र सिंह चन्देल, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता और श्री आलोक संजर को डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।